

तत्काल / अतिशीघ्र

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

सेवा में

✓ महानिदेशक,
विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 21129-CFMS-6ई0सी0डी0-II-2022 / 4091
चण्डीगढ़, दिनांक

19/9/2022

विषय:-

उपमण्डल अभियन्ता पंचायती राज के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध पुनर्नियुक्ति
आधार पर भरने बारे।

उपरोक्त विषय पर नोटिस दिनांक 16.09.2022 की प्रति भेजकर अनुरोध किया जाता है कि
इसे विभाग की साईट पर तुरन्त अपलोड करवाते हुए सरकार को भी अवगत करवाया जाये।

अधीक्षक, विकास-II

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग। (P)

तत्काल / अतिशीघ्र

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

सेवा में

✓ महानिदेशक,
विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

यादी क्रमांक 21129-CFMS-6ई0सी0डी0-11-2022 / 4091
चण्डीगढ़, दिनांक

19/9/2022

विषय:-

उपमण्डल अभियन्ता पंचायती राज के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध पुनर्नियुक्ति
आधार पर भरने बारे।

उपरोक्त विषय पर नोटिस दिनांक 16.09.2022 की प्रति भेजकर अनुरोध किया जाता है कि
इसे विभाग की साईट पर तुरन्त अपलोड करवाते हुए सरकार को भी अवगत करवाया जाये।

अधीक्षक, विकास-11

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग। (P)

आवश्यक सूचना

विकास एवं पंचायत विभाग में उपमण्डल अभियन्ताओं (पंचायती राज) की कमी के दृष्टिगत उपमण्डल अभियन्ताओं के कुछ पद पुनर्नियुक्ति आधार पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों के दृष्टिगत सेवानिवृत्त उपमण्डल अभियन्ताओं में से भरने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक सेवानिवृत्त उपमण्डल अधिकारी, जिनकी आयु 63 वर्ष से कम है तथा जिनके विरुद्ध कोई विभागीय/आपराधिक इत्यादि मामला लम्बित नहीं है, उपमण्डल अभियन्ता (पंचायती राज) के पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु अपना आवदेन पत्र पूर्ण विवरण सहित सरकार को 15 दिन के अन्दर-अन्दर भिजवा सकते हैं।

अवर सचिव, विकास

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग।

दिनांक 16/09/2022